

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2014

सा.का.नि. 720(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, ओडिशा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियमावली, 2014 कहा जा सकेगा।

(ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में, अनुसूची-II में -

तालिका में, प्रथम कॉलम में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों से संबंधित भाग 'क' में आने वाली "ओडिशा" प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में तदनुसूची प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

#### "ओडिशा"

सरकार के मुख्य सचिव और मुख्य विकास आयुक्त	80000/-रु. (नियत)
सदस्य, राजस्व बोर्ड	80000/-रु. (नियत)
मुख्य प्रशासक, केबीके	80000/-रु. (नियत)
कृषि उत्पादन आयुक्त	एचएजी वेतनमान- 67000/-रु. (वार्षिक वेतन वृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-रु.

सरकार के प्रधान सचिव	एचएजी वेतनमान- 67000/-रु. (वार्षिक वेतन वृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-रु.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	एचएजी वेतनमान- 67000/-रु. (वार्षिक वेतन वृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-रु.
अपर विकास आयुक्त एवं सरकार में योजना और समन्वय विभाग के सचिव	एचएजी वेतनमान- 67000/-रु. (वार्षिक वेतन वृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-रु.
महानिदेशक, प्रशिक्षण समन्वयन, गोपबन्धु प्रशासन अकादमी, भुवनेश्वर	एचएजी वेतनमान- 67000/-रु. (वार्षिक वेतन वृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-रु.
राजस्व मंडलीय आयुक्त	पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
आयुक्त, वाणिज्यिक कर	पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.

परिवहन आयुक्त	पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
आयुक्त-सह-राज्यपाल के सचिव	पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
आयुक्त-सह-मुख्यमंत्री के सचिव	पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
आयुक्त-सह-सचिव/सरकार के विशेष सचिव	पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
विशेष राहत आयुक्त	पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली	पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.

(ख) तालिका में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन लेने वाले पदों से संबंधित भाग ख में वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ता लेने वाले पद भी शामिल हैं:-

"सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव
सचिव, राजस्व बोर्ड
पंजीयक, सहकारी समिति
निदेशक, अ.ज.जा. और अ.जा. विकास
निदेशक, पंचायती राज
उद्योग निदेशक
रोजगार निदेशक
पंजीयन महानिरीक्षक
उत्पाद शुल्क आयुक्त
श्रम आयुक्त
पर्यटन निदेशक

वस्त्र एवं हथकरघा निदेशक
निदेशक, सामाजिक कल्याण
निदेशक, विशेष परियोजना
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर
अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप-कलेक्टर, ग्रेड-I /परियोजना प्रशासक, आई.टी.डी.ए.
निदेशक, प्रारंभिक एवं जन शिक्षा
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
निदेशक, एनआरएलएम
निदेशक, एनआरएचएम
निदेशक, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण
निदेशक, कृषि एवं खाद्य उत्पादन
निदेशक, पशुपालन और पशुचिकित्सा सेवाएं
निदेशक, मत्स्यपालन"

[फा. सं. 11031/03/2014-अ.भा.से.-II (ख)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी: मूल अधिनियम दिनांक 20.03.2007 की सा.का.नि. सं. 213(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे एवं तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं एवं तिथियों के तहत संशोधित किए गए थे:—

क्रम सं.	सा.का.नि. सं.	तारीख	क्रम सं.	सा.का.नि. सं.	तारीख
1	23(अ)	10.01.2008	19	899(अ)	09.11.2010
2	665(अ)	19.09.2008	20	954(अ)	06.12.2010
3	123(अ)	15.04.2009	21	920(अ)	30.12.2011
4	542(अ)	21.07.2009	22	922(अ)	30.12.2011
5	572(अ)	13.08.2009	23	94(अ)	16.02.2012
6	820	12.11.2009	24	115(अ)	28.03.2012
7	72(अ)	10.02.2010	25	325(अ)	26.04.2012
8	102(अ)	25.02.2010	26	941(अ)	28.12.2012
9	191(अ)	12.03.2010	27	55(अ)	31.01.2013
10	298(अ)	08.04.2010	28	104(अ)	18.02.2013
11	397(अ)	11.05.2010	29	602(अ)	06.09.2013
12	404(अ)	13.05.2010	30	604(अ)	06.09.2013
13	413(अ)	17.05.2010	31	45(अ)	22.01.2014

14	432(अ)	20.05.2010	32	47(अ)	22.01.2014
15	434(अ)	20.05.2010	33	302(अ)	<del>29.04.2014</del>
16	451(अ)	26.05.2010	34	384(अ)	06.06.2014
17	689(अ)	19.08.2010	35	512(अ)	18.07.2014
18	836(अ)	13.10.2010			